

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 155 / 2016 / जयपुर
2. अपील संख्या - 156 / 2016 / जयपुर
3. अपील संख्या - 157 / 2016 / जयपुर

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, संभाग-प्रथम, जयपुरअपीलार्थी
बनाम
मैसर्स फोर सीजन्स मल्टीक्यूजन,
भगत सिंह मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर.प्रत्यर्थी

4. क्रॉस ऑ. संख्या-968 / 2016 / जयपुर
5. क्रॉस ऑ. संख्या-969 / 2016 / जयपुर
6. क्रॉस ऑ. संख्या-970 / 2016 / जयपुर

मैसर्स फोर सीजन्स मल्टीक्यूजन,
भगत सिंह मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर.अपीलार्थी
बनाम
सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, संभाग-प्रथम, जयपुरप्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अधिवक्ता
श्री आर.एन.गर्ग,
अधिवक्ता

.....विभाग की ओर से

.....व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक :07.08.2018

निर्णय

1. ये छः अपीलें क्रमशः प्रथम तीन अपीलें विभाग द्वारा एवं द्वितीय तीन क्रॉस ऑब्जेक्शन प्रार्थना पत्र व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 31.08.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, संभाग-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पृथक-पृथक पारित आदेश 17.09.2014 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) तहत आरोपित कर व ब्याज को यथावत् रखा है तथा शास्ति को अपास्त किया है।

2. इन छः प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से इन अपीलों का निस्तारण एक संयुक्तादेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक से रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम जयपुर (जिसे आगे "जांच अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा व्यवहारी फर्म के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 21.07.2014 को सर्वेक्षण किया गया। जांच अधिकारी ने वक्त जांच पाया कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों के दौरान रेस्टोरेन्ट में की गई कूकड फूड एवं ब्रेवरीज की बिक्री पर सर्विस टैक्स वसूल किया है एवं इस सर्विस टैक्स की राशि को विक्रय में सम्मिलित नहीं किया है, जिसे जांच अधिकारी ने व्यवहारी की करापवंचन मानते हुए अभियोग बनाकर पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित कर दी। कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली कर अवलोकन कर पाया कि व्यवहारी द्वारा कर चोरी की मंशा से सर्विस टैक्स को विक्रय में सम्मिलित नहीं किया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसकी पालना में व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित बहस प्रस्तुत की। कर

निरन्तर.....2

निर्धारण अधिकारी ने लिखित बहस से असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी पर तालिकानुसार मांग राशियों का आरोपण कर दिया। व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने संयुक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2015 द्वारा व्यवहारी की अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कर व ब्याज को यथावत् रखते हुए शास्ति राशियों को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त संयुक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रथम तीन अपीलें एवं व्यवहारी द्वारा द्वितीय तीन क्रॉस ऑब्जेक्शन प्रार्थना पत्र कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये हैं।

अपील संख्या	क्रॉस ऑ. संख्या	कर निर्धारण आदेश		अपीलीय आदेश की अपील संख्या	विवादित		
		दिनांक	वर्ष		कर	ब्याज	शास्ति
155/16	968/16	17.09.14	12-13	247/अ.प्रा.-II/आरवीएटी	34,825	8,720	69,650
156/16	969/16	17.09.14	13-14	248/अ.प्रा.-II/आरवीएटी	1,06,539	9,095	2,13,078
157/16	970/16	17.09.14	14-15	249/अ.प्रा.-II/आरवीएटी	3,804	80	7,608

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि जांच अधिकारी द्वारा व्यवसायी फर्म का दिनांक 21.07.2014 सर्वेक्षण करने पर पाया कि व्यवसायी द्वारा रेस्टोरेन्ट में की गई बिक्री पर सेवा कर (Service Tax) के नाम पर राशि वसूल की जाती है, तथा अधिनियम की धारा 2(36) के अन्तर्गत सेवा कर पर वैट की राशि वसूल की जाती है तथा व्यवसायी द्वारा जारी वैट इनवॉइस में वसूल किये सर्विस टैक्स को विक्रय राशि में सम्मिलित नहीं किया गया। व्यवहारी द्वारा समस्त बिक्री राशि के प्रस्तुत नियमित रूप से रिटर्न में घोषित बिक्री को विधिवत रूप से नहीं किया इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति विधिसम्मत एवं सही है, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से अपास्त किया है। उन्होंने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने शास्ति के बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त कर विधिक भूल की है। अतः शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय आदेश को निरस्त करते हुए कर निर्धारण के आदेश को बहाल (Restore) करने का निवेदन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलों की स्वीकार एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत तीनों क्रॉस ऑब्जेक्शन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि व्यवहारी द्वारा वसूल किया गया सर्विस टैक्स/सर्विस चार्जेज विक्रय मूल्य का भाग नहीं है। उन्होंने कथन किया कि सर्विस टैक्स/सर्विस चार्जेज अधिनियम के अनुसार 'विक्रय' या विक्रय मूल्य की परिभाषा में नहीं आते हैं। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में (1999) 113 एसटीसी 575, (2004) 10 टीयूडी 151, (2008) 12 वीएसटी 371, (2011) 37 वीएसटी 226, (2014) 38 टीयूडी 215 एवं (2014) 39 टीयूडी पार्ट-2 53 को उद्धरित किया है। व्यवहारी के प्रतिनिधि ने बहस के दौरान बताया कि इन प्रकरणों में प्रतिकरापवंचन के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही उनके क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण अविधिक है।

7. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपने कथन को जारी रखते हुआ कहा कि अधिनियम की धारा 2(36) के अन्तर्गत मण्डी समिति द्वारा बाजार मूल्य पर जो चार्जज लिए जाते हैं, वह कर की श्रेणी में नहीं आते हैं। अतः सर्विस टैक्स पर वैट का आरोपण नहीं किया जावे। अपने कथन की पुष्टि में उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत वाणिज्यिक कर अधिकारी, जयपुर बनाम मैसर्स ब्रिटानिया डेयरी प्रा.लि. का उद्धरण प्रस्तुत किया।

8. आगे उन्होंने अपने कथन में कर व ब्याज के बिन्दुओं पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अविधिक बताते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत क्रॉस ऑब्जेक्शन प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

9. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। होटल/रेस्टोरेंट बार में की गई बिक्री पर वसूल किया गया सर्विस टैक्स विक्रय मूल्य का भाग है अथवा नहीं? इसके लिए सर्वप्रथम माननीय राजस्थान कर बोर्ड की वृहदपीठ का निर्णय दिनांक 08.06.2018 का अवलोकन किया जाना आवश्यक होगा जिसमें होटल हिल्लोक प्रा.लि., माउंटआबू (सिराही) के प्रकरण में निम्न प्रश्न का निर्णय किया गया है—

Whether the service tax on the supply of foods and drinks will be the part of sale price or not and consequently the vat will be leviable on the value of the food including the service tax or the value of the food excluding the service tax.

माननीय कर बोर्ड की वृहदपीठ के उपरोक्त निर्णय में यह निर्णित किया गया है कि—

"The Service tax as charged for supply of food and beverages shall constitute a part of the sale price and the Value Added Tax (VAT) is leviable on the value of food and beverages including the service tax."

माननीय कर बोर्ड की वृहदपीठ के उपरोक्त निर्णय के अन्त में इस प्रकार अभिमत प्रकट किया है कि—

"We are of the considered view that since the VAT is leviable on whole value the food and beverages as supplied by the assessee and the definition of 'sale price' includes any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under the RVAT Act, therefore, the service tax as charged for supply of food and beverages, shall be covered under the definition of 'sale price' and resultantly exigible to VAT."

10. इससे स्पष्ट है कि बिक्री मूल्य की परिभाषा में अन्य वैधानिक शुल्क **statutory levy** शामिल होगी अतः व्यवसायी द्वारा जो सर्विस टैक्स वसूल किया गया है उस पर वैट कर का दायित्व बनेगा और यह सर्विस टैक्स विक्रय मूल्य का भाग होगा।

11 व्यवहारी के प्रतिनिधि ने बहस के दौरान बताया कि इन प्रकरणों में प्रतिकरापवंचन के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही उनके क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण अविधिक है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने (2004) 8 टीयूडी 64, (2017) 117 एसटीसी 96 का उद्धरण देते हुए बहस की कि करापवंचन वृत्त में पदस्थापित अधिकारियों का इस प्रकरण में अधिकारिता नहीं बनती है। क्षेत्राधिकार के संबंध में आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा प्रचलित अधिसूचना क्रमांक एफ3(ए) 9 ज्यूरिस/टैक्स/सीसीटी/97-1 दिनांक 01.04.1997 (समय

समय पर यथा संशोधित) के अनुसार कर अपवंचन निरोध वृत्त में पदस्थापित समस्त सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी ऐसे व्यवहारियों पर अधिकारिता रखेंगे जिनके विरुद्ध कर अपवंचन के या कर दायित्व को छिपाने के किसी मामले का जिसमें अधिसूचित कर दर का संदाय न करना भी सम्मिलित है, अतः प्रतिकरापवंचन वृत्त के अधिकारी द्वारा प्रकरण में लिया गया क्षेत्राधिकार विधिसम्मत है। इसके अतिरिक्त व्यवहारी के प्रकरणों में इस बिन्दु पर माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 607 व 608/2004/जयपुर, सीटीओ बनाम मैसर्स कोडेक इंडिया लिमिटेड के प्रकरण में दिया गया निर्णय दिनांक 28.10.2004 सुसंगत है। इस निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

“जहां तक व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि का यह तर्क है कि करापवंचन शाखा के अधिकारियों को इस प्रकरण में आदेश पारित करने का अधिकार ही नहीं था, यह निर्विवाद है कि परिपत्र दिनांक 18.02.1992 द्वारा इस प्रकार के निर्देशित जारी किये गये थे, परन्तु व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि की जानकारी में शायद यह नहीं है कि परिपत्र क्रमांक वनिस/परिपत्र/98/199 दिनांक 06.05.1998 द्वारा परिपत्र दिनांक 18.02.1992 को अतिष्ठित करते हुए आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी वस्तु विशेष की कर दर के संबंध में बनाये गये अभियोगों का निष्पादन करापवंचन शाखा के अधिकारी भी कर सकेंगे। अतः उनकी यह आपत्ति सारहीन पायी जाती है तथा सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश उनके क्षेत्राधिकार में होना पाया जाता है।”

इस प्रकार व्यवसायी की ओर से प्रस्तुत उक्त निर्णय से उसे कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

12. इस प्रकार कर एवं ब्याज के इन दोनो बिन्दुओं पर अपीलीय आदेश उचित होने से इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से यथावत् रखा जाता है।

13. जहाँ तक धारा 61 के तहत शास्ति का प्रश्न है, अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित की जाने वाली शास्ति के अन्तर्गत व्यवहारी पर शास्ति का आरोपण तब किया जा सकता है जब व्यवहारी द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के रेकार्ड से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों के सभी संव्यवहारों को अपने नियमित लेखा-पुस्तकों में दर्ज किया गया है एवं उनके द्वारा आलौच्य अवधियों के किसी भी संव्यवहार को अपने नियमित लेखा-पुस्तकों अथवा विभाग में प्रस्तुत दस्तावेजों से छुपाया नहीं गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कही भी यह सिद्ध नहीं किया गया कि व्यवहारी द्वारा कर चोरी की मनोभावना से सर्विस टैक्स को विक्रय राशि में सम्मिलित नहीं किया है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्चतम न्यायालय के सीटीओ बनाम मैसर्स श्याम एजेन्सी एसीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 42/2014 निर्णय दिनांक 26.08.2014 एवं श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तामिलनाडू राज्य के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति भी विधिसम्मत एवं उचित नहीं है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अपीलार्थी विभाग द्वारा शास्ति के बिन्दु पर प्रस्तुत अपीलें सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी ने अपना अपीलीधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है।

॥

::5::

(1-3) अपील संख्या - 155 से 157/2016/जयपुर
(4-6) क्रॉस ऑ. संख्या - 968 से 970/2016/जयपुर

14. फलतः विभाग द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत तीनों क्रॉस ऑब्जेक्शन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाते हैं, एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य